संख्या- 15/2019/308/छप्पन-2019-40/2017

प्रेषक,

नितीश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 14 फरवरी, 2019

विषय :राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 उत्पल बनर्जी , पायलट (रोटर विंग) एवं कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 19 फरवरी, 2019 से 22 फरवरी, 2019 तक तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 25 फरवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019 में (04 प्रशिक्षण दिवसों तथा 02 यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 22/ना0उ0नि0/आप्स-17/2016, दिनांक 30 जनवरी, 2019 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 उत्पल बनर्जी, पायलट (रोटर विंग) एवं कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा ग्राउण्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जानी है :-

क्र0सं0	पायलट	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क/अन्य व्यय
1	कै0 उत्पल बनर्जी, पायलट (रोटर विंग)	19 फरवरी, 2019 से 22 फरवरी, 2019	मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू	6,49,695/-
2	कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग)	19 फरवरी, 2019 से 22 फरवरी, 2019	मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू	6,49,695/-
3	कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग)	25 फरवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019	मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू	6,49,695/-
कुल योग				19,49,085/-

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उक्त तालिकानुसार पायलटगण को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु कै0 उत्पल बनर्जी, कै0 एस0के0 गिरि, तथा कै0 जी0एस0 पड्डा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 6,09,070/- (रूपए छ: लाख नौ हजार सत्तर मात्र) (प्रति पायलट की दर से) तथा यात्रा व्यय (वायुयान किराया, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 40,625/- (रूपए चालीस हजार छ: सौ पच्चीस मात्र) (प्रति पायलट की दर से) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 19,49,085/- (रूपए उन्नीस लाख उनचास हजार पच्चासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में कै0 उत्पल बनर्जी, पायलट (रोटर विंग) एवं कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) तथा कै0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू की ट्रेनिंग फैसिलिटी में कराए जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 6,09,070/- (रूपए छ: लाख नौ हजार सत्तर मात्र) (प्रति पायलट की दर से) तथा यात्रा व्यय (वायुयान किराया, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 40,625/- (रूपए चालीस हजार छ: सौ पच्चीस मात्र) प्रति पायलट अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 19,49,085/- (रूपए उन्नीस लाख उनचास हजार पच्चासी मात्र) के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर द्वारा पायलटों के प्रशिक्षण की आवंटित तिथियों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी दशा में श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलोर से प्रशिक्षण की वास्तविक/संशोधित तिथियां प्राप्त होने के बाद वे सम्बन्धित पायलट को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि (04 दिन प्रति पायलट) तथा प्रशिक्षण शुल्क (कुल रू0 19,49,085/-) में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

9- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-104/दस-2019 दिनांक 13 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

11- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
नितीश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 15/2019/308(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।